न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)
राजस्व विविध संख्या – 40/2020
तारीख निर्णय –28/7/2021

प्रार्थीगण :–

1. चुन्नीलाल पुत्र लुम्बाजी आयु–वयस्क
2. मगाराम पुत्र लुम्बाजी आयु–वयस्क
   जातिगण–चौधरी, निवासीगण– देसूरी, तहसील–देसूरी जिला पाली

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थीगण :–

1. रेखा पत्नी सखारामजी जाति चौधरी निवासी–करणवा
2. कन्या पत्नी वेनारामजी जाति चौधरी निवासी– विरमपुरा रेबारियान
3. विद्या पत्नी किशनलालजी जाति चौधरी निवासी– विरमपुरा रेबारियान
   तहसील–देसूरी जिला–पाली(राजस्थान)

(वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1– प्रार्थीगण की ओर से – वकील शंकरलाल मीणा।
2– अप्रार्थीगण की ओर से – वकील शान्तु कुमार।

–: निर्णय :– **दिनांक– 28/7/2021**

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–212 राज.काश्त. अधिनियम, 1955 तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम देसूरी पटवार हल्का देसूरी तहसील देसूरी जिला पाली के खसरा नम्बर 498 रकबा 0.3200 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल लगान रूपये 2.24 रूपये की प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारान संयुक्त खातेदारी आधिपत्य की कृषि भूमि विद्यमान है।

यह है कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी का 1/6 हिस्सा एवं प्रार्थी संख्या 02 का 1/6 हिस्सा यानि सम्पूर्ण आराजी में प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा आता है। प्रमाण स्वरूप जमाबंदी की प्रति [illegible]।

यह है वादग्रस्त आराजियात का [illegible] संख्या 01 लगाय 03 की संयुक्त खातेदारी की आधिपत्य [illegible] जिसका मौके पर [illegible] बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किया हुआ नहीं है। मौ[illegible] पर प्रार्थीगण का मा[illegible] खातदोरी के हिस्से अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है, परन्तु कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स

पेज लगातार 02 पर....

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 18:17:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

बंटवाडा किया हुआ नहीं होने से अप्रार्थीगण संख्या 01 लगाय 03 उनके खातेदारी हिस्से से ज्यादा भूमि पर काश्त करने पर आमादा है एवं टण्टा-फसाद करते है तथा जमीन को खुर्द-बुर्द करने करने व अन्यत्र अजनबी केता को बेचान, हस्तान्तरण करने पर आमादा है। प्रार्थीगण संख्या 1 लगाय 3 प्रार्थीगण की आराजियात में उनकी काश्त में नाजायज दखलन्दाजी करने पर आमादा रहते है।

जिससे प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी का कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन वाद-पत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित खातदेारी हिस्सा अनसार बंटवाडा करवा कर खाते अलग करवाना चाहते है। जिस हेतु प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 01 लगाय 03 को बार-बार कहने पर भी अप्रार्थी संख्या 01 लगाय 03 आज कल बतला कर टालम-टोली कर रहा है एवं विभाजन हेतु सहमत नही हो रहे है।

चूंकि वादग्रस्त आराजियात का कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किया हुआ नहीं होने से अप्रार्थीगण संख्या 01 लगाय 03 वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थीगण के खातेदारी कृषि भूमि को खुर्द-बुर्द करने एवं अजनबी व्यक्ति को बेचान, हस्तान्तरण, अन्तरण करने पर उतारू है व अपने हिस्से से अधिक कृषि भूमि पर कब्जा करने पर उतारू है जिससे वादग्रस्त आराजियात का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा करवाया जाना व उसी अनुरूप नक्शे में तरमीम करवााय जाना न्यायोचित है। अन्यथा अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजियात का अजनबी व्यक्ति को बेचान, हस्तान्तरण कर दिये जाने पर वादग्रस्त आराजियात पर शांतिपूर्वक कृषि कार्य करना असम्भव हो जायेगा तथा खुर्द-बुर्द करने से व अजनबी व्यक्ति के द्वारा खातेदारी में प्रवेश करने से मौके पर अंशाति पैदा हो जायेगी। इस कारण वादग्रस्त आराजियात का कानून बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कराये जाने हेतु एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु हस्ब धारा 53, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है जो प्रार्थीगण का मूल वाद प्रथम दृष्टया कामयाब होने योग्य है, जिसमें प्रार्थी की सफलता के ठोस आधार एवं अभिलेखिय आधार है।

यह है मूल वाद के निर्णय में समय लगने की संभावना है जबकि अप्रार्थीगण मौके पर प्रार्थीगण के बंट की आराजियात में नाजायज दखलन्दाजी करने, अप्रार्थीगण उनके खातेदारी हिस्से से अधिक भूमि पर काश्त करने पर आमादा है एवं टण्टा फसाद कर जमीन को खुर्द-बुर्द, व जमीन के विशेष भू-भाग की प्रार्थीगण की भूमि पर काश्त करने पर आमादा है एवं मौके पर विशेष भू-भाग को अजनबी व्यक्ति को बेचान करने पर आमादा है जिससे अप्रार्थीगण के इस अवैध कृत्य से प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी एवं प्रार्थीगण के विधिक हक अधिकारों पर कुठाराघात होगा एवं मौके पर वाद विवाद बढेगा जिससे प्रार्थीगण काश्त से वंचि रह जायेगे। जिससे कि मूल वाद के निर्णय तक उनके खातेदारी हिस्से के बंट से अधिक भूमि पर काश्त कर जमीन को खुर्द – बुर्द करने व

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 18:17:49 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 03 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

विशेष भू-भाग की प्रार्थीगण की जमीन काश्त करने एवं मौके पर विशेष भू-भाग को अजनबी व्यक्ति को बेचान करने से रोका जाना नितान्त आवश्यक एवं न्याय संगत है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध मूल वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायहित मे जारी की जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का यह अस्थायी व्यादेश का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि मौजा ग्राम देसूरी पटवार हल्का देसूरी के खसरा संख्या 498 रकबा 0.3200 हैक्टर भूमि किस्म बारानी अव्वल की वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में अप्रार्थीगण किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप व दखलन्दाजी नहीं करे व न ही किसी अन्य से करावें व जमीन को खुर्द-बुर्द नहीं करे, दखलन्दाजी, हस्तक्षेप नहीं करे एवं जमीन का बाई मिट्स एण्ड बाण्ड्स बंटवाडा नहीं हो जाता तब तक उनके खातेदारी बंट से अधिक भूमि पर काश्त नहीं करें, विशेष भू-भाग की प्रार्थीगण की जमीन पर काश्त नहीं करे व विशेष भू-भाग की प्रार्थीगण की जमीन पर काश्त नहीं करे एवं मौके पर विशेष भू-भाग को अजनबी व्यक्ति को बेचान नहीं करें तथा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण के नोटिस तलब किया गया। बाद तलबी के अप्रार्थीगण की ओर से वकील शान्तु कुमार द्वारा वकालत नामा पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं कर सीधी बहस की गई।

पत्रावली में वकुलाय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना-पत्र मे वर्णित वादग्रस्त आराजी मौजा ग्राम देसूरी पटवार हल्का देसूरी तहसील दसूरी में स्थित खसरा नम्बर 498 रकबा 0.3200 है किस्म बारानी अव्वल के मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति एवं निमार्ण कार्य नहीं करने का अनुरोध बहस प्रार्थना पत्र में किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण ने मौके पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के बीच मौके पर बंटवाडा हो चुका है, मात्र राजस्व रेकर्ड में सामलाती संयुक्त भूमि है। अप्रार्थीगण अपने हिस्से से ज्यादा जमीन पर कब्जा करने पर उतारू है व पक्का निर्माण कर कॉर्य करवा रहा है जिससे मौके पर विवाद हो सकता है। वाद के अन्तिम निस्तारण तक मौका एवं रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र की जवाब नहीं देकर सीधी बहस की। संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि है मौका अनुसार [illegible] ने खातेदारी कृषि भूमि पर मकान व दुकान का निमार्ण करा लिया है। मौके [illegible] भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है जिस बंट पर बैठे है वही [illegible] प्रार्थना पत्र खारिज जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 18:17:49 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 04 पर ....

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

प्रार्थीगण अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र व बहस पर मनन किया गया एवं इस पत्रावली व मूल वाद–पत्र की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। इस प्रार्थना पत्र मे निस्तारण हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने बाबत निम्न तीन बिन्दुओं पर विचारण किया गया।

प्रथम दृष्टया मामला :– वकील प्रार्थीगण का तर्क है कि मौजा ग्राम देसूरी पटवार हल्का देसूरी के खसरा संख्या 498 कुल रकबा 0.3200 हैक्टर की संयुक्त खातेदारी आधिपत्य की अविभाजित वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण के 1/3 हिस्सा एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी हक अधिकार की विद्यमान है। जिस बाबत पत्रावली का अवलोकन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी संवत् 2073–2076 से प्रार्थीगण के 1/3 हिस्से एवं अप्रार्थीगण की सामलाती खातेदारी कृषि भूमि होना पृथम दृष्टया प्रतीत होता है। उपरोक्त तथ्यों से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनों के पक्ष में साबित होता है।

सुविधा का संतुलन :– अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत सुविधा का संतुलन बिन्दु पर विचार किया गया। चुंकि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनो वादग्रस्त आराजी के रेकॉर्डेड खातेदार है। अतः वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनों द्वारा अपने हिस्से से ज्यादा भू–भाग पर काश्त, जमीन को खुर्द–बुर्द, काश्त में दखलन्दाजी करने से मौके पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनों को असुविधा व विवाद बढने की संभावना रहेगी जिससे भी सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनों के पक्ष में साबित होता है।

अपूरणीय क्षति :– अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर न्यायालय द्वारा विचारण किया गया। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनों रेकॉर्डेड खातेदार होने से प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से के अतिरिक्त एवं विशेष भू–भाग पर अवैध तरीके से काश्त एवं एक दूसरे की काश्त में दखलन्दाजी तथा कृषि भूमि के विशेष भू–भाग पर एवं हिस्से से ज्यादा भूमि पर काश्त किया जायेगा तो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनों की काश्त को नुकसान होगा। जिससे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनों पक्षों को अपूर्णिय क्षति होगी।

इस संबंध मे न्यायालय की राय में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी की प्रति से यह स्पष्ट होता है कि उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगाण के संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि है। चूंकि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनो रेकॉर्डेड खातेदार है। अतः न्यायालय की राय में अपूरणीय क्षति के संबंध मे यदि दोनों पक्षों द्वारा वादग्रस्त आराजी में जोर जबरदस्ती प्रवेश एवं विशेष भू–भाग को किसी अज्ञात को बेचान किया जाता है तो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनों को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है अतः अपूरणीय क्षति का सिद्वान्त भी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनों के पक्ष में साबित होता है।

पेज लगातार 05 पर...

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajlaxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 18:17:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत तीनों बिन्दु प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनो के पक्ष में साबित होने से न्यायालय की राय में प्रार्थीगण का यह अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र पत्र स्वीकार किया जाकर दोनों पक्षों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करना उचित समझता है अतएवं

–: आदेश :–

प्रार्थीगण का यह अस्थायी व्यादेश का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनों के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा ग्राम देसूरी पटवार हल्का देसूरी के खसरा नम्बर खसरा नम्बर 498 रकबा 0.3200 हैक्टर की सामलाती संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि का मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अपने–अपने जमीन को खुद–बुर्द नहीं करें एवं मौके पर विशेष भू–भाग को किसी अन्य को बेचान नहीं करें तथा मौके एवं रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखेगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)
देसूरी

निर्णय आज दिनांक 28/7/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
देसूरी
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 18:17:49 IST
Reason: SelfAttested